



# INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

## भारतीय राजनीति को आकार देने में हिंदी भाषा की भूमिका

(ROLE OF HINDI LANGUAGE IN SHAPING INDIAN POLITICS)

डॉ सुमन यादव

एसोसिएट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान)

शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज

शेख सराय फेज-2, नई दिल्ली 110017

### लेख के मुख्य शब्द-

मुख्यधारा, अंतर्दृष्टि, परिदृश्य, संप्रेषित, सारांश, एकीकृत कारक, बारीकियां, परिष्कृत, समावेशिता, परिभाषित, आख्यान, बहुमुखी भूमिका, ताने-बाने, पारंगत, लोकतांत्रिक संचार, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी, सत्ता-साझाकरण, भूगोलिक-राजनीतिक इत्यादि।

### लेख का उद्देश्य-

लेख का उद्देश्य भारतीय राजनीति को आकार देने में हिंदी भाषा द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाना और उसका विश्लेषण करना है। विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए इसमें बताया गया है कि भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक के रूप में हिंदी देश के राजनीतिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित करती है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर भी विचार किया गया है जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी की भूमिका और राष्ट्रीय अस्मिता से इसके जुड़ाव, भारत में भाषाई विविधता और विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच एक आम कड़ी के रूप में हिंदी, बहुभाषी समाज में संचार की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग और चुनौतियां, भारत सरकार की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति, आधिकारिक संचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और शिरो की गई पहलों पर चर्चा।

क्यों राजनीतिक अभियानों और भाषणों में राजनीतिक नेता बड़े पैमाने पर दर्शकों से जुड़ने और अपने संदेशों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। मुख्यधारा के मीडिया में हिंदी की भूमिका और सार्वजनिक चर्चाओं पर इसके प्रभाव एवं राजनीतिक आख्यानों को आकार देने में इसके योगदान का अन्वेषण। भारतीय राजनीति को आकार देने में हिंदी के स्थायी महत्व और आने वाले वर्षों में इसकी विकसित भूमिका पर अंतर्दृष्टि डालना भी लेख का उद्देश्य है।

## सार-

इस लेख में भारत के राजनीतिक परिदृश्य में हिंदी के बहुमुखी प्रभाव की पड़ताल के साथ-साथ इसकी शुरुआत के ऐतिहासिक संदर्भों को प्रदान करने, स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की प्रमुखता और राष्ट्रीय पहचान के साथ इसके जुड़ाव का पता लगाने की कोशिश की गई है। यह सत्य है कि देश की भाषाई विविधता को भारत के जनमानस ने मूलरूप से स्वीकार किया है, जिसमें विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच एक सामान्य सूत्र के रूप में हिंदी भाषा की भूमिका अहम है। इस लेख के सार के रूप में आधिकारिक संचार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल के साथ-साथ आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति की जांच की गई है। यह लेख राजनीतिक अभियानों पर प्रकाश डालता है, जिसमें इस बात पर बल दिया गया है कि नेता कैसे व्यापक दर्शकों से जुड़ने और संदेशों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। यह लेख शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के बीच संबंध और राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी पर इसके प्रभाव को संबोधित करता है। भाषाई विविधता को समायोजित करने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानते हुए, हिंदी को अपनाने से जुड़ी चुनौतियों, विवादों और भाषा नीतियों पर बहस का संक्षिप्त विश्लेषण भी इसमें निहित है।

भाषा की गतिशीलता में संभावित विकास और परिवर्तनों को देखते हुए, भारतीय राजनीति में हिंदी के भविष्य के दृष्टिकोण का आंकलन लेख के मुख्य बिंदुओं का सारांश है, जिसमें भारतीय राजनीति को आकार देने में हिंदी के स्थायी महत्व और निकट भविष्य में इसकी विकसित भूमिका का अध्ययन समाहित है।

## भारत में हिंदी भाषा के आयाम-

भारतीय राजनीति में हिंदी भाषा की भूमिका बहुआयामी और महत्वपूर्ण है, जिसमें ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई आयाम शामिल हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में इसके प्रयोग पर जोर दिया। हिंदी भाषी क्षेत्र, जिसे अक्सर "हिंदी हार्टलैंड" कहा जाता है, विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों और पार्टियों के लिए एक ऐतिहासिक गढ़ रहा है। संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार, हिंदी को भारत सरकार की आधिकारिक भाषाओं में से एक का दर्जा प्राप्त है। केंद्र सरकार आधिकारिक संचार और दस्तावेजीकरण में हिंदी का बड़े पैमाने पर प्रयोग करती है। चूंकि हिंदी भारतवर्ष की राजभाषा भी है।

हिंदी राजनीतिक नेताओं के लिए विशाल और विविध आबादी के साथ संवाद करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करती है। नेता अक्सर भाषाई सीमाओं से परे लोगों से जुड़ने के लिए भाषणों, रैलियों और अभियानों में हिंदी का प्रयोग करते हैं। राजनीतिक अभियान, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर, व्यापक दर्शकों तक पहुंचने और संदेशों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए अक्सर हिंदी को ही अपनी भाषा के रूप में शामिल करते हैं। हिंदी अक्सर एक समान राष्ट्रीय पहचान के विचार से जुड़ी होती है। इसके प्रचार को एक एकीकृत कारक के रूप में देखा जाता है जो भाषाई और क्षेत्रीय मतभेदों से परे है। बल्कि हिंदी को बढ़ावा देने के प्रयास कभी-कभी भारतीय पहचान की मजबूत भावना को बढ़ावा देने की दृष्टि से जुड़े भी होते हैं।

टेलीविज़न, समाचार पत्र और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित भारतीय मीडिया में हिंदी एक प्रमुख भाषा है। हिंदी में राजनीतिक बहसों, चर्चाओं और साक्षात्कार देश में राजनीतिक विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भारत के अधिकतर हिस्सों में शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा की भाषा युवा पीढ़ी के बीच राजनीतिक जागरूकता और विचारधारा को प्रभावित करती है। हालाँकि हिंदी भारतवर्ष में व्यापक रूप से बोली, समझी और लिखी जाती है, गौरतलब है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में

भी क्षेत्रीय विविधताएँ और बोलियाँ हैं। राजनेताओं के लिए विविध क्षेत्रीय आबादी के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने के लिए इन बारीकियों को समझना महत्वपूर्ण है।

भारत भाषाई रूप से विविध है, पूरे देश में कई भाषाएँ बोली जाती हैं। हिंदी को एक प्रमुख भाषा के रूप में बढ़ावा देने के प्रयासों को समावेशिता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियों का सामना करना होगा। हिंदी राजनीतिक पहचान और संबद्धता को प्रभावित कर सकती है, खासकर उन राज्यों में जहाँ यह प्रमुख भाषा है। राजनीतिक दल अक्सर हिंदी भाषी मतदाताओं को ध्यान में रखकर अपना संदेश देते हैं। भारतीय राजनीति में हिंदी की भूमिका बदलती जनसांख्यिकी, संचार प्रौद्योगिकियों और राजनीतिक परिदृश्य के साथ विकसित होने की संभावना है। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता को आकार देने में भाषा एक महत्वपूर्ण कारक बनी रहेगी। भारतीय राजनीति में हिंदी की भूमिका देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ताने-बाने में गहराई से अंतर्निहित है। यह विविध भाषाई समुदायों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करती है, जो भारतीय राजनीतिक पहचान की जटिल टेपेस्ट्री में महत्वपूर्ण योगदान देती है।

### हिंदी भारत देश की राजभाषा-

हिंदी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है, लेकिन यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है, जिसके राज्यों और क्षेत्रों में कई भाषाएँ बोली जाती हैं। भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची के तहत, हिंदी सहित 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक पत्राचार और दस्तावेज़ीकरण के लिए किया जाता है। हालाँकि, भारत में अलग-अलग राज्य अपने राज्य के भीतर प्रयोग के लिए अपनी आधिकारिक भाषाएँ नामित करने के लिए स्वतंत्र हैं। हिंदी भाषा भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो देश के विविध सांस्कृतिक और भाषाई परिदृश्य में इसकी भूमिका को दर्शाती है। संविधान में कई प्रावधान हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हैं और इसे राजभाषा का दर्जा प्रदान करते हैं।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को भारत सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में नामित करता है। यह निर्दिष्ट करता है कि संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 120, 210 एवं 343 से लेकर 351 तक सभी अनुच्छेद संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी भाषा के प्रगतिशील प्रयोग, भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देने, विभिन्न राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग भाषाओं के साथ हिंदी को राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर आधिकारिक भाषा माने जाने इत्यादि बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं।

हिंदी संविधान में एक विशेष स्थान रखती है, भाषाई विविधता पर संविधान के व्यापक परिप्रेक्ष्य को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। संविधान कई भाषाओं को मान्यता देता है और विभिन्न संदर्भों में उनके प्रयोग का प्रावधान करता है, जिससे भारत की समृद्ध भाषाई विविधता एवं जटिलता के लचीलेपन और समायोजन की अनुमति मिलती है। यह भारतीय आबादी के भाषाई अधिकारों और विविधता का सम्मान करते हुए हिंदी के विकास और प्रयोग को बढ़ावा देता है।

### स्वतंत्र भारत की राजनीति में हिंदी भाषा-

स्वतंत्र भारत में राजनीति के माध्यम के रूप में हिंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी को एक ऐसी भाषा के रूप में देखा गया जो विविध भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले देश में एक एकीकृत शक्ति के रूप में काम कर सकती है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित नेताओं ने राष्ट्रीय पहचान और एकता की



भावना को बढ़ावा देने के साधन के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की वकालत की। 1950 में अपनाए गए भारतीय संविधान ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषाओं में से राजभाषा के रूप में मान्यता दी, साथ ही आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की समयसीमा भी निर्धारित की। यद्यपि भाषा के मुद्दे ने विशेष रूप से हिंदी के समर्थकों और अंग्रेजी के निरंतर उपयोग की वकालत करने वालों के बीच बहस और विवादों को जन्म दिया।

"हिंदी थोपने" की बहस के कारण गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सरकार ने अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया और अंग्रेजी को एक सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में बरकरार रखा। तो भी संसदीय कार्यवाही, आधिकारिक दस्तावेजों और केंद्र सरकार के स्तर पर पत्राचार में हिंदी का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा एवं व्यापक स्तर पर दर्शकों से जुड़ने के लिए राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री अवसर अपने भाषणों और आधिकारिक पत्राचार में हिंदी का अत्याधिक प्रयोग करने लगे। राजनीतिक नेताओं के चुनाव अभियानों, रैलियों और सार्वजनिक संबोधनों में प्राथमिक भाषा के रूप में हिंदी का निरंतर प्रयोग होने लगा जोकि नेताओं को विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में विविध दर्शकों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की अनुमति देता था।

जहां हिंदी भाषा भारत के अधिकांश क्षेत्रों में व्यापक रूप से बोली और स्वीकार की जाती है, वहीं देश के कुछ भागों में हिंदी भाषा को अपनाने को लेकर तनाव की स्थिति भी देखी जाती है, खासकर उन राज्यों में जहां अन्य भाषाएं मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। जिसके चलते भाषाई विविधता की सुरक्षा के साथ हिंदी के प्रचार-प्रसार को संतुलित करना नीति निर्माताओं के लिए निरंतर एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। तथापि स्वतंत्र भारत के राजनीतिक परिदृश्य में हिंदी भाषा सम्प्रेषण का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। हालाँकि इसे बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयास भी महत्वपूर्ण रहे हैं, तो भी देश की भाषाई विविधता के लिए क्षेत्रीय भाषाओं और पहचानों के लिए समावेशिता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता है। भारतीय राजनेताओं की राजनीति को परिष्कृत करने में हिंदी का प्रयोग और इसकी भूमिका जहां किसी भी विवाद से परे है वही राष्ट्रीय एकता और भाषाई विविधता के चलते हिंदी भाषा की मान्यता का प्रश्न इनके बीच जटिल अंतरसंबंध को दर्शाता है।

### हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा-

किसी भी अन्य भाषा की तरह हिंदी की भी अपनी अनूठी विशेषताएं, संरचना और व्याकरण हैं। यह इंडो-यूरोपीय भाषा परिवार की इंडो-आर्यन शाखा से संबंधित है और इसका एक समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक इतिहास है। हालाँकि, किसी भाषा में वैज्ञानिक कठोरता का विचार उस सटीकता और स्पष्टता पर बेहतर ढंग से लागू किया जा सकता है जिसके साथ वह जटिल विचारों को व्यक्त कर सकती है या जानकारी दे सकती है।

विभिन्न वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षणिक क्षेत्रों में हिंदी सहित कई भाषाओं का प्रभावी ढंग से प्रयोग किया गया है। वैज्ञानिक समुदाय आमतौर पर सटीक और तकनीकी अवधारणाओं को व्यक्त करने के लिए उनकी उपयुक्तता के आधार पर भाषाओं को अपनाता है और उनका उपयोग करता है। हिंदी एक परिष्कृत और अभिव्यंजक भाषा है, दुनिया भर की भाषाओं की विविधता और समृद्धि की सराहना करना आवश्यक है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी ताकत और विशेषताएं हैं। वैज्ञानिक अवधारणाओं को व्यक्त करने में किसी भाषा की प्रभावशीलता अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि इसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्रों में कितनी अच्छी तरह अनुकूलित और विकसित किया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भाषा के "वैज्ञानिक" होने की अवधारणा सार्वभौमिक रूप से परिभाषित नहीं है, और इस मामले पर राय भिन्न हो सकती है।

## भारत की राजनीति को आकार देने की भूमिका में हिंदी भाषा की कसौटी-

हिंदी भाषा भारतीय राजनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, जो देश की भाषाई विविधता और जटिल सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाती है। भारत भाषाओं की एक विशाल श्रृंखला का घर है, संविधान में 22 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्रत्येक राज्य की अक्सर अपनी आधिकारिक भाषा होती है, जो भाषाई विविधता में योगदान करती है। यह विविधता राजनीतिक क्रियाकलापों, भाषणों और अभियानों में परिलक्षित होती है, जहां नेता विविध भाषाई समुदायों से जुड़ने के लिए कई भाषाओं का प्रयोग करते हैं। त्रि-भाषा फॉर्मूला, भी इसी का प्रतिफल है। भारत में भाषा क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी हुई है। राजनीतिक दल अक्सर पहचान की राजनीति में संलग्न होते हैं, वे विशिष्ट मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और प्रचार की वकालत भी करते हैं।

मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक चर्चा को आकार देने में भाषा एक शक्तिशाली उपकरण है। समाचार पत्र, टेलीविज़न और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजनीतिक संदेश देने, आख्यान को आकार देने और जनता की राय को प्रभावित करने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। मीडिया में भाषा का चुनाव इस बात पर प्रभाव डालता है कि जनता राजनीतिक घटनाओं और मुद्दों को किस प्रकार देखती है। हिंदी भाषा संसदीय कार्यवाही का अभिन्न अंग है। हालांकि संसद सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में बोलने वालों के लिए व्याख्या सेवाएं भी प्रदान की गई हैं। कई भारतीय राजनेता द्विभाषी या बहुभाषी हैं। कोड-स्विचिंग, बातचीत में भाषाओं के बीच स्विच करने की क्षमता, अक्सर विभिन्न भाषाई समूहों से जुड़ने के लिए राजनीतिक रूप से उपयोग की जाती रही है। व्यापक अपील सुनिश्चित करने के लिए राजनेता कई भाषाओं में सभाओं को संबोधित भी करते हैं।

चुनाव प्रचार के दौरान, राजनीतिक दल मतदाताओं से जुड़ने के लिए भाषा को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। नारे, भाषण और अभियान सामग्री उन भाषाओं में तैयार की जाती है जो स्थानीय आबादी के साथ जुड़ती हैं, प्रभावी संचार और आउटरीच में योगदान करती हैं। भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका को समझने के लिए विविध भाषाई परिदृश्य, ऐतिहासिक संदर्भ और भाषा और पहचान के बीच गतिशील अंतरसंबंध पर विचार करने की आवश्यकता है। राजनीतिक नेता अपनी भाषाई विविधता वाले देश में गठबंधन बनाने, समर्थन जुटाने और राजनीतिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए इन भाषाई जटिलताओं को नेविगेट करते हैं तो भी हिंदी भाषा का जानकार एवं पारंगत राजनेता भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदलने में सक्षम होता है जिसके अनेकों-अनेक उदाहरण भारतीय राजनीतिक इतिहास में विद्यमान हैं चूंकि भारत में हिंदी जनमानस की भाषा के रूप में स्थापित है।

## राजनीतिक शक्ति की निर्धारक भाषा-

सभी देशों में, राजभाषा या सरकार द्वारा परिभाषित भाषाएँ राजनीतिक सत्ता में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। सरकारी पत्राचार, कानून और आधिकारिक दस्तावेज़ अक्सर आधिकारिक भाषा/भाषाओं में संचालित होते हैं। राजनीतिक भागीदारी और उन्नति के लिए राजभाषा का ज्ञान अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है। किसी क्षेत्र या देश की भाषाई जनसांख्यिकी राजनीतिक सत्ता की भाषा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन क्षेत्रों में जहां एक विशेष भाषा बहुसंख्यक या आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से द्वारा बोली जाती है, उस भाषा के राजनीतिक क्षेत्रों में प्रभावशाली होने की संभावना भी उतनी ही प्रबल होती है। देश के इतिहास, संस्थापक दस्तावेजों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी भाषा अक्सर प्रतीकात्मक महत्व रखती है और राजनीतिक

गतिविधियों एवं व्याख्यानों में प्रयोग होती हैं। राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने या बौद्धिक और नीतिगत चर्चाओं में शामिल होने के लिए चर्चा/शिक्षा की भाषा में प्रवीणता अक्सर एक शर्त के रूप में देखी जाती है।

मुख्यधारा के मीडिया, राजनीतिक भाषणों और राजनीतिक नेताओं द्वारा सार्वजनिक व्याख्यानों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा राजनीतिक सत्ता को आकार देती है। जनता के साथ प्रभावी वार्तालाप में अक्सर उस भाषा का प्रयोग करना शामिल होता है जो बहुमत से मेल खाती हो। भाषा से संबंधित सरकारी नीतियां, जिनमें भाषा को बढ़ावा देना, संरक्षण देना या तथाकथित थोपना इत्यादि शामिल हैं, राजनीतिक सत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। भाषा नियोजन से संबंधित राजनीतिक इच्छाशक्ति और निर्णय किसी समाज में भाषाई गतिशीलता को प्रभावित भी करते हैं। इसके अतिरिक्त, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी समाजों में, भाषाई विविधता के लिए सत्ता-साझाकरण व्यवस्था और विचार राजनीतिक संरचनाओं का अभिन्न अंग होते हैं। यद्यपि भाषा और राजनीतिक शक्ति के बीच परस्पर क्रिया जटिल है और विभिन्न भूगोलिक-राजनीतिक संदर्भों में इसके उदहारण भी भिन्न हो सकते हैं।

### हिंदी भाषा नीति और राजनीति-

1947 में देश की आजादी के बाद से ही भारत में भाषा नीति और राजनीति में महत्वपूर्ण और कभी-कभी विवादास्पद मुद्दे आते रहे हैं। भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है जिसके विशाल भू-भाग में सैकड़ों भाषाएँ/बोलिया बोलती जाती हैं। हिंदी और अंग्रेजी राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक भाषाएं हैं, और भारत में प्रत्येक राज्य को अपनी आधिकारिक भाषा नामित करने का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 343 हिंदी को भारत सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है, और अनुच्छेद 351 एक समग्र भाषा के रूप में हिंदी के विकास, संस्कृत सहित विभिन्न स्रोतों से शब्दावली और व्याकरण तैयार करने का निर्देश देता है। आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी है और अक्सर केंद्र सरकार और राज्यों के बीच पत्राचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

भारत में राज्यों को राज्य के भीतर प्रयोग के लिए अपनी आधिकारिक भाषा चुनने की स्वतंत्रता है। परिणामस्वरूप, विभिन्न राज्यों ने देश की भाषाई विविधता को दर्शाते हुए विभिन्न भाषाओं में से अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। उदाहरण के लिए, भारत के दक्षिणी भाग के राज्य मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाओं को अपनी आधिकारिक भाषाओं के रूप में प्रयोग करते हैं। भारत की शिक्षा नीति तीन-भाषा फॉर्मूले को बढ़ावा देती है, जो सुझाव देती है कि विद्यार्थियों को तीन भाषाएँ सीखनी चाहिए: क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। हालाँकि, इस फॉर्मूले के कार्यान्वयन को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, खासकर उन राज्यों में जहाँ हिंदी प्राथमिक भाषा नहीं है।

1960 के दशक में, कुछ दक्षिणी राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन हुए, जहाँ लोगों ने हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में लागू करने का विरोध किया। इन विरोधों की प्रतिक्रिया के रूप में, भारत सरकार ने अधिक लचीली भाषा नीति अपनाई, जिससे राज्यों को आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग जारी रखने की अनुमति मिल गई। भाषा संबंधी मुद्दे कुछ राज्यों में राजनीतिक आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं, जहाँ भाषाई राज्यों की मांग उठाई गई है। नवीनतम उदाहरण के तौर पर, तेलंगाना और उत्तराखंड जैसे राज्यों के निर्माण में भाषाई विचारधारा भी एक कारक रहा है। भारत में भाषा सांस्कृतिक पहचान से गहराई से जुड़ी हुई है। किसी विशेष भाषा को तथाकथित थोपने के प्रयासों को कुछ समुदायों की सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के लिए खतरे के रूप में देखा जाना बताया जाता रहा है।



वैसे तो भारत में भाषा नीति और राजनीति दोनों ही जटिल हैं और अक्सर सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और ऐतिहासिक पहचान एवं परम्परा संबंधी विचारों से जुड़ी हैं। सरकार का लक्ष्य राष्ट्र की विशेषता वाली भाषाई विविधता की पहचान और संरक्षण के साथ संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के प्रचार-प्रसार को संतुलित करना है। भाषा संबंधी मुद्दों को लेकर चल रही बातचीत और कभी-कभार होने वाले तनाव भारत के भाषाई परिदृश्य की जटिल प्रकृति को दर्शाते हैं जिसके चलते कुछ दल या समूह अपनी राजनीति चमकाने लगते हैं।

### हिंदी भाषा सारांश की राजनीति-

कई राजनीतिक नेता भाषणों और राजनीतिक अभियानों के दौरान जनता से जुड़ने के लिए प्राथमिक माध्यम के रूप में हिंदी का उपयोग करते हैं। हिंदी में भाषण देने से नेताओं को व्यापक दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिलती है, क्योंकि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हिंदी भाषा को समझता है। जनता को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक नारे और संदेश अक्सर हिंदी में तैयार किए जाते हैं। हिंदी में दिए गए इन संदेशों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ना और राजनीतिक विचार-धाराओं और एजेंडा को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना है। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि एक संस्कृति का प्रतीक भी है और राजनीति में इसका उपयोग साझा सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को बढ़ावा देने के व्यापक विचार से जुड़ा है। सोशल मीडिया के उदय के साथ, राजनीतिक नेता दर्शकों से ऑनलाइन व्यापक स्तर पर जुड़ने के लिए हिंदी का उपयोग करते हैं। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग राजनीतिक संदेशों को साझा करने के लिए किया जाता है, और इनमें से ज्यादातर संदेश हिंदी भाषी आबादी से जुड़ने के लिए हिंदी में ही तैयार किए जाते हैं।

हालाँकि, भारत भाषाई रूप से विविध है, और भाषाई विचार अक्सर राजनीतिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि हिंदी भारतवर्ष की राजभाषा होने के साथ-साथ देश के जन-सामान्य की एक महत्वपूर्ण भाषा है, यद्यपि नेता और राजनीतिक दल विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में मतदाताओं से जुड़ने में क्षेत्रीय भाषाओं के महत्व को भी पहचानते हैं। भारत में सफल राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक संचार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो देश की भाषाई विविधता को स्वीकार करने के साथ-साथ इसका सम्मान भी करें।

### हिंदी भाषा और राजनीतिक शक्ति के बीच संबंध-

भारत में हिंदी भाषा और राजनीतिक शक्ति के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी हैं। देश की प्रमुख भाषाओं में से एक होने के नाते, हिंदी ने ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक आख्यानों, नीतियों और शासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी को केंद्र सरकार के स्तर पर आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। यह मान्यता राजनीतिक सत्ता और शासन के साथ हिंदी के जुड़ाव को पुष्ट करती है, क्योंकि इसका उपयोग आधिकारिक पत्राचार, कानून और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत है जो भाषाई विविधताओं को पाट सकती है और भारत की विविधतापूर्ण आबादी के बीच एकता की भावना को बढ़ावा दे सकती है। इसके साथ-साथ राष्ट्रीय अस्मिता के साथ हिंदी भाषा का जुड़ाव राजनीतिक क्षेत्र में इसके महत्व को बढ़ाने में योगदान देता है।

संसदीय कार्यवाही, आधिकारिक दस्तावेजों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं सहित केंद्र सरकार के कामकाज में हिंदी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। अतः सरकार, नौकरशाही और राजनीतिक सत्ता के अन्य संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए हिंदी में दक्षता हासिल करना आवश्यक हो जाता है। राजनीतिक अभियानों और सार्वजनिक संबोधनों के दौरान हिंदी में बोलने से राजनेताओं को एक बड़े दर्शक वर्ग से जुड़ने का मौका मिलता है, क्योंकि हिंदी भाषा को आबादी का एक बड़ा हिस्सा समझता है। समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों सहित मीडिया में हिंदी का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, जो

जनमत को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली कारक हैं। हिंदी भाषा मीडिया में राजनीतिक विमर्श आख्यानो को आकार देने और राजनीतिक धारणाओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

हिंदी भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ में गहराई से निहित है। राजनीतिक नेता अक्सर अपने भाषणों और संदेशों में सांस्कृतिक प्रतीकों और ऐतिहासिक संदर्भों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हिंदी, राजनीतिक शक्ति और राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत के बीच सेतु का कार्य करती है। भारत में हिंदी भाषा और राजनीतिक शक्ति के बीच संबंध गतिशील हैं और कालान्तर से चली आ रही बहस और बातचीत का विषय भी। कुछ वर्ष पूर्व तक एक आम भाषा को बढ़ावा देने और देश की भाषाई विविधता का सम्मान करने के बीच नाजुक संतुलन राष्ट्रीय एकता और भारतीय राजनीति के लिए एक जटिल चुनौती बनी हुई थी पर अब इससे बर्फ पिघलने लगी है।

### राजनीति में सफलता की गारंटी हिंदी भाषा-

हिंदी जानने से एक राजनीतिक नेता को भारतीय आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की सहूलियत मिलती है। हालाँकि, लोगों से जुड़ने की क्षमता भाषा से परे है और इसमें प्रभावी संचार कौशल, स्थानीय मुद्दों को समझना और विविध समुदायों की चिंताओं का समाधान प्रस्तुत करना शामिल है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, और हिंदी में पारंगत नेता को व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचने में फायदा तो मिलता ही है साथ-साथ उसे राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में इसका विशेष लाभ भी मिलता है। राष्ट्रीय स्तर पर विधायी और संसदीय कार्यवाही में भाग लेने वाले नेताओं के लिए हिंदी में दक्षता मूल्यवान साबित होती है, जहां आधिकारिक पत्राचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाता है वही हिंदी भाषा का ज्ञान बहस और चर्चाओं में प्रभावी भागीदारी की गारंटी भी प्रदान करता है। जो नेता हिंदी के साथ सहज हैं, वे हिंदी मीडिया के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ सकते हैं और अधिकाधिक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं।

हिंदी को समझना सांस्कृतिक संवेदनशीलता में योगदान देता है, क्योंकि भाषा अक्सर सांस्कृतिक बारीकियों से जुड़ी होती है। एक नेता जो हिंदी सांस्कृतिक संदर्भों से परिचित है, वह सांस्कृतिक स्तर पर लोगों से जुड़ने के लिए बेहतर स्थिति में होता है। तथापि एक राजनीतिक नेता की सफलता उनके नीतिगत निर्णयों और लोगों की जरूरतों को पूरा करने में उसके प्रदर्शन से गहराई से जुड़ी होने के बावजूद भी हिंदी जानना भारत में राजनीतिक नेताओं के लिए एक संपत्ति से कम नहीं है, राजनीति में सफलता विभिन्न कारकों की एक जटिल परस्पर क्रिया तो है ही फिर भी राजनीतिक नेताओं को जनता का समर्थन हासिल करने और अपने राजनीतिक करियर में सफल होने के लिए भाषाई विविधता को नेविगेट करते हुए, क्षेत्रीय गतिशीलता को समझने और प्रभावी नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन करने की आवश्यकता के साथ-साथ हिंदी भाषा के भरपूर ज्ञान को अर्जित करने का प्रयत्न करना चाहिए।

### निष्कर्ष-

भारतीय राजनीति को आकार देने में हिंदी भाषा की भूमिका देश के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने का एक गतिशील और जटिल पहलू है। हिंदी के ऐतिहासिक महत्व ने, विशेषकर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, राजनीतिक परिदृश्य में इसकी प्रमुखता की नींव रखी। देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में, हिंदी ने आधिकारिक पत्राचार, संसदीय कार्यवाही और राजनीतिक अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजनीतिक विचार-विमर्श के माध्यम के रूप में हिंदी का उपयोग इसके भाषाई कार्य से आगे बढ़कर राष्ट्रीय पहचान और एकता का प्रतीक बन जाता है। राजनीतिक नेता इसकी व्यापक पहुंच और प्रभाव का लाभ उठाते हुए, अधिकतम आबादी से जुड़ने के लिए राजनीतिक रूप से हिंदी का प्रयोग करते हैं। मीडिया, हिंदी के व्यापक उपयोग के साथ, जनमत और राजनीतिक आख्यानो को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।



हालाँकि, हिंदी का प्रचार-प्रसार चुनौतियों से रहित नहीं है। भारत की भाषाई विविधता, देश भर में बोली जाने वाली कई भाषाओं के साथ, क्षेत्रीय पहचान के लिए समावेशिता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के लिए प्रतिरोध और समर्थन उस नाजुक संतुलन को उजागर करता है जिसे नीति निर्माताओं द्वारा गहन अध्ययन तथा आपसी बातचीत से सुलझाया/सूनिश्चित किया जाना है। भारतीय राजनीति में हिंदी भाषा की भविष्य की भूमिका बदलती हुई जनसांख्यिकी, तकनीकी प्रगति और सामाजिक-राजनीतिक विकास के साथ विकसित होने की भरपूर संभावना विद्यमान है। आने वाले समय में हिंदी भाषा राजनीतिक परिक्षेत्र, शिक्षा और राष्ट्रीय एकता के लिए एक अमोघ शक्ति तथा ताकतवर हथियार बनके उभरेगी। भाषाई विविधता के संरक्षण के साथ हिंदी के प्रचार-प्रसार को संतुलित करना भी नीति निर्माताओं के लिए एक प्रमुख तार्किक विषय है। भारतीय राजनीति में हिंदी भाषा की भूमिका राष्ट्रीय एकता और विविधता के बीच एक जटिल अंतरसंबंध को दर्शाती है। जोकि एक एकीकृत शक्ति और पहचान के स्रोत दोनों के रूप में कार्य करती है। जैसे-जैसे राष्ट्र प्रगति कर रहा है, समावेशी राजनीतिक जुड़ाव और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए हिंदी की बहुमुखी भूमिका को समझना और संबोधित करना ओर भी महत्वपूर्ण हो गया है।

### संदर्भ:-

- भारतीय राजनीतिक चिंतन, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, वेबसाइट-<http://uou.ac.in>
- भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका, प्रो. शशि शर्मा
- भाषा शिक्षण, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
- हिंदी भाषा शिक्षण, डा. अश्वनी, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद
- भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका: एक अध्ययन, मीता सिंह
- भाषा और अभिव्यक्ति, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली
- राजनीति की भाषा या भाषा की राजनीति, डा. सुरेश पंत
- चुनिंदा भाषणों का खंड-2, डा. प्रणब मुखर्जी
- नमस्कार का चमत्कार; भारतीय राजनीति के कड़वे सत्य- निश्चित सफल नेता बनने के गुण, युद्धवीर सिंह
- भारत का संविधान-सिद्धांत और व्यवहार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
- भाषा की राजनीति, राजनीति की भाषा, दैनिक भास्कर